तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
22/7/24	पत्रावली पेश हुई वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रार्थीगण द्वारा प्रा०पत्र करस्माती जिदेयाराा पेश किया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण सं. 1 लगा० 5 एक ही हिन्दू संयुक्त परिवार के सदस्य है। ग्राम जामीर बाँदीपुरई तह-बसवा हाल तह-बाँदीकुई मे भूमि काश्त खाता सं. नया-53 पुराना-58 के ख-नं. 79 रकबा 0.98 हेक्टे. कुल किता-1 कुल रकबा-0.98 हेक्टे. वर्तमान मे प्रार्थी सं. 1 व 2 के नाम दर्ज है नरेशसिंह व अप्रार्थी सं. 1 व 2 के नाम दर्ज है तथा भूमि काश्त खाता सं. नया 02 पुराना 02 का ख-नं. 70 लगा० 73 कुल किता-04 कुल रकबा 0.11 हेक्टे. वर्तमान मे प्रार्थी सं.-1 व दावे मे प्रति० सं. 6 लगा० अप्रार्थी सं.-1, 2 व दावे मे प्रति० सं. 6 लगा० 12 के नाम दर्ज है। उक्त वर्णित भूमि मे अप्रार्थी सं. 02 का हिस्सा 1/3 जो खातेदारी जमाबन्दी मे दर्शित भूमि अप्रार्थी सं.-02 के पिता व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सं.-1, 3 लगा० 5 के पितामह ~~[illegible] के पूर्वजों की भूमि होने से पैतृक भूमि होने से प्राप्त हुआ है~~ पैतृक भूमि होने से प्रार्थीगण व दावे मे प्रतिवादीगण सं. 1 ला० 5 का उनके का हिस्सा 1/7 है। पैतृक भूमि होने के कारण प्रार्थीगण व दावे के प्रतिवादीगण सं.-2 लगा० 5 को हिन्दू विधि के अनुसार जन्म होते ही अधिकार व हिस्सा बन जाता है। अप्रार्थी सं.-2 ने पैतृक भूमि जिसके खाता सं.-34 है जिसको प्रार्थीगण की अदम जानकारी व बिना सहमति के कटई गलत आधारो पर अप्रार्थीगण से [illegible]

पीठासीन अधिकारी

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
1, 4, 5 से मिलकर अप्रार्थी सं. 2 को गुमराह कर व अपने प्रभाव में लेकर बिना किसी हक अधिकार के दिनांक 27-07-2024 को विक्रय पत्र अप्रार्थी सं. 3, 4, 5 के हक मे तहरीर करवा लिया। जिसकी जानकारी होने पर प्रार्थीगण द्वारा खाता सं. 34 ग्राम-भाभापुरा मे स्थित भूमि की बाबत अदालत हजा के समक्ष दावा उद्घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद जनवानी-नरेन्द्रसिंह वगै० बनाम रामप्रसिंह वगैरह प्रस्तुत कर दिया है अप्रार्थी सं. 1 ता 5 द्वारा प्रार्थीगण को एलानिया धमकी दी है कि वह वादग्रस्त भूमि उपरोक्त वर्णित मे अप्रार्थी सं 2 के नाम 1/3 हिस्सा भूमि का बेचान करेंगे तथा प्रार्थी नरेन्द्रसिंह के नाम जो क्रयशुदा भूमि है उसमे हम किसी बाहुबली व्यक्ति को बेचान कर उस हिस्से से भी प्रार्थी सं-1 को बेदखल करके रहेंगे। अतः अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावे। हमने उभयपक्ष बहस पर मनन किया, प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। राजस्व जमाबन्दी संवत 2075-78 ग्राम-बांदीकुई जागीर खाता सं. नया-2 पुराना-2 एवं खाता सं. नया-59 पुराना-58 के प्रार्थी सं-1, 4 अप्रार्थी सं. 1, 4, 2 रिकार्डेड खातेदार है। प्रार्थना में वर्णित स्थिति का भी अवलोकन किया गया। अतः उभयपक्ष बहस पर मनन	

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	करने एवं दस्तावेजों के अवलोकन के आधार पर प्राइमा फेसाई केस सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थीगण के पक्ष में होना उचित प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा तादफैसला प्रतिबंधित किया जाता है कि भूमि मुतदाविया ग्राम रामा फकीर बांदीकुई तह. बसवा हाल तह. बांदीकुई जिला-दौसा में खाता सं. 59 पुराना-58 के खसरा नंबर 79 रकबा 0.98 हैक्टर कुल किता-01 कुल रकबा 0.98 हैक्टर एवं खाता सं. नया-02 पुराना-02 के खसरा नंबर 70 लगा० 73 कुल किता-04 कुल रकबा 0.11 हैक्टर स्थित है में प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि में प्रार्थीगण के उपयोग-उपभोग में कोई हस्तक्षेप न करें व रहन, बय न करें तथा नाजायज कब्जा नहीं करें एवं राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली नियमानुसार होकर बाद तामील हस्ब जाब्ता मुन्तजिर रहे। 22/07/24 उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई

INDIA
दो रुपये TWO RUPEES
रुपये TWO RUPEES

उपजिला क

1. नरेन्द्रसिंह उम्र 58 वर्ष
2. सत्येन्द्रसिंह उम्र 56 वर्ष

वा

ब

1. विरेन्द्र सिंह उम्र 64 वर्ष पुत्र
2. रामरायसिंह उम्र 92 वर्ष पुत्र
3. सुरेन्द्रसिंह उम्र 62 वर्ष पुत्र
4. अनन्तसिंह उम्र 57 वर्ष पुत्र
मीना की ढाणी वार्ड नं. 01,
निवासी डी-284 आनन्द बिह
5. राजस्थान सरकार जरिये त
जिला दौसा।

प्रार्थना

श्रीमान् जी,

प्रार्थीगण की ओर स

1. यह है कि प्रार्थीगण ने आज
वाद सम्पुष्ट आधारों पर पे
कामयाब होने की पूरी-पूरी स
डिकी होगा।

Scanned with OKEN Scanner